अभी तो यही कहूंगा कि मैं पूर्णत: निर्दोष हूं और मेरी आत्मा सर्वथा निष्कलंक है । तथा मैं यह भी कहता हूं कि मैंने अपने मंत्री पद के समय पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य सम्पादन किया है और मेरे द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति किसी भी समय पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछले कई महीनों में अनेक ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने मुझे काफी दुखी किया है, परन्तु फिर भी व्यापक हित की दृष्टि से इस समय तो मैं चुप रहना ही श्रेयस्कर समझता हूं ।

जैसे ही मेरे विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप पहली बार लगाये मैंने अपने त्याग-पत्र की बात प्रधान मंत्री से तुरन्त कर दी थी । बाद में फिर इस के पूर्व कि दास साहब की रिपोर्ट की मुझे जानकारी हो मैंने अपना त्याग-पत्र दे दिया था, और उस की स्वीकृति के लिये आग्रह किया था । मैंने ऐसा आग्रह केवल संसद् की मर्यादा सम्बन्धी कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के रक्षार्थ ही किया । हम सब संसद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि इन मूलभूत सिद्धान्तों की रक्षा के लिये अपने को जिम्मेदार समझें ।

अपने को पूर्ण रूप से मैं निर्दोष न समझता तो मैं सदन का एक दिन के लिये सदस्य रहना मंजूर न करता । कुछ महानुभावों को विचित्र सा लगे, पर मैं अपने इस विश्वास को प्रकट करना चाहता हूं कि मैं इस सदन की सदस्यता को किसी भी पदों की गुरुता से महानतम समझता हूं । मंत्री रहते समय अपने कार्य के सम्बन्ध में मैंने जिस नीति का अनुसरण किया किसी से छिपा नहीं है । और प्रगतिवादी नीति और ध्येय को बढ़ाने के लिए मैंने जो थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ाया उसकी ओर संसद् का ध्यान दिलाने में कोई संकोच भी नहीं करना चाहिये । मेरा इस समाजवादी आधार में पूर्ण विश्वास है और मैं यह भी समझता हूं कि इस नीति को शीघ्रता से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा और चूंकि उसकी सफलता में मुझे पूरा विश्वास है, मैं आज उसकी पूर्ति के लिये अपनी शक्ति का एक-एक कण लगा देने का पुन: व्रत लेता हूं ।

मंत्री के नाते मुझे इस सदन का पूर्ण समर्थन और सहयोग प्राप्त रहा इसके लिये मैं इस सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं ।

मैसर्स सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के कुछ कारोबार के सम्बन्ध में जस्टिस एस० के० दास द्वारा की गई जांच के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जैसा कि मैंने सदन को ७ मई को सूचित किया था, मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज का नाम बताने के लिये प्रार्थना की थी जिसको कि सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के श्री के० डी० मालवीय सम्बन्धी कुछ कागज़ात में की गई प्रविष्टियों की छान-बीन का काम सौंपा जा सके । यह तहकीक़ात सुप्रीम-कोर्ट के श्री जस्टिस एस० के० दास को सौंपी गई थी । मुख्य न्यायाधीश की प्रार्थना पर मैंने इन बातों की पुष्टि की थी कि यह जांच केवल इसलिए कराई जा रही थी कि मुझे इस मामले के बारे में निर्णय करने में सहायता मिल सके, जैसाकि होना चाहिये तहक़ीक़ात गुप्त होगी तथा कार्यवाही और तहक़ीक़ात का तरीका पूरी तरह से श्री जस्टिस एस० के० दास के हाथ

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में होगा और सरकार के कब्जे में इस सम्बन्ध में जो भी काग़ज़ात होंगे वे सब आदरणीय न्यायाधीश के हवाले किये जायेंगे ।

श्री जस्टिस दास ने अपने विवेक के अनुसार यह फैसला किया कि कोई भी वकील उपस्थित न हों । उन्हें केवल प्रथम-दृष्टि-निर्णय पर ही पहुंचना था । बहुत सी बातों में उनकी रिपोर्ट श्री के० डी० मालवीय के अनुकूल थी किन्तु कुछ बातों में उनके विरुद्ध थी । श्री जस्टिस दास ने मुझे १० जून को अपनी रिपोर्ट दी थी । जैसाकि मैंने पिछले मौके पर क ा था जब यह मामला मेरे सामने प ली बार आया तभी श्री मालवीय ने मुझ से त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की थी । जस्टिस दास की तहक़ीक़ात का नतीजा जानने से पहले ही उन्होंने दुबारा त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की । जैसाकि आप को मालूम है, उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया है । यद्यपि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का विश्वास नहीं है कि श्री मालवीय ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी को कोई दोष दिया जा सके । फिर भी मैंने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और ऐसा करते हुए मैंने संसदीय शासन के उन ऊंचे सिद्धान्तों के अनुसार कार्य किया है और करना चाहिये, जिन सिद्धान्तों से एक मंत्री का पद नियंत्रित होता है और मैंने उसी के अनुसार अपना कर्तव्य किया । मुझे यह कार्यवाही करते हुए बहुत खेद हुआ । मैं मानता हूं—और आशा करता हूं कि सदन मेरे साथ इस बात में सहमत होगा—कि १९५० से श्री मालवीय ने मंडल-मंत्री तथा दूसरे पदों पर रह कर राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवाएं कीं ।

मैं श्री जस्टिस एस० के० दास की रिपोर्ट को कई कारणों से सदन के सामने नहीं रख रहा हूं । पहले मैंने सदन में यह कहा था कि न्यायाधीश ने इस शर्त पर तहक़ीक़ात करना मंजूर किया था कि रिपोर्ट पर सदन में अथवा किसी और जगह विचार नहीं होगा और यह प्रकाशित नहीं की जायेगी । यह रिपोर्ट निजी तथा गुप्त ढंग की है और प्रधान मंत्री पद के कार्यों को निभाने में मेरे मार्ग-दर्शन के लिये थी और केवल मेरे प्रयोग के लिये थी । यह साफ है कि यह जस्टिस दास के पद के गौरव के अनुरूप नहीं कि उनकी रिपोर्ट सदन अथवा जनता में टिप्पणी या विचार का विषय बने । इसके अलावा कुछ मामले विचाराधीन हैं और जल्द ही अदालत में पेश कर दिये जायेंगे । देश के सब से ऊंचे न्यायालय के एक जज द्वारा दी गई रिपोर्ट के विषय को प्रकट करने से उन मामलों पर की जाने वाली अदालती कार्यवाही को हानि पहुंच सकती है । रिपोर्ट को प्रकाशित करना उचित और युक्तियुक्त विचारों के विरुद्ध होगा । इन्हीं और दूसरी बातों के कारण रिपोर्ट को सदन के सामने रखना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं केवल एक दो प्रश्नों की अनुमति दूंगा ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं दो तीन बातें पूछना चाहता था ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया) : प्रक्रिया नियमों के नियम १९९ के उप-नियम (ख) के अनुसार ऐसे वक्तव्य पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री रामेश्वरानन्द : उन बेचारे निर्दोष को त्यागपत्र क्यों दिलाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि उन्हें विश्वास है कि श्री मालवीय पक्षपात विहीन थे । श्री मालवीय स्वयं अपने आपको निरापराधी कहते हैं । ऐसी परिस्थिति में उनके प्रति अनुचित व्यवहार हुआ है अतः श्री जस्टिस दास का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना चाहिये ।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि न तो मुख्य न्यायाधिपति और न ही न्यायाधिपति श्री दास यह चाहते थे कि प्रतिवेदन का कुछ अंश सभा पटल पर रखा जाए हमें प्रतिवेदन बताया जाता तो हम जान सकते कि व्यापारी और मंत्रालय किस प्रकार मिल कर काम करते हैं। चार पांच पैराग्राफों को छोड़ कर शेष भाग के सम्बन्ध में तो उन्हें आपत्ति नहीं थी ।

†**श्री विभूति मिश्र** (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि रिपोर्ट में ये बातें लिखी हुई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने रिपोर्ट को कहां देखा ।

†**श्री कृपालानी** (अमरोहा): श्री मालवीय ने कहा कि न तो गवाही मांगी गई और न ही वकील रखने की अनुमति दी गई । तो क्या यह आवश्यक नहीं कि मंत्री महोदय के हित के लिए ही इस मामले में जांच समिति स्थापित की जाती ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): श्री मालवीय पर मैंने आरोप लगाये थे । अब वे कहते हैं कि आरोप झूठे थे किन्तु मेरे आरोपों का कोई उत्तर नहीं दिया गया । उत्तर प्राप्त करना मेरा अधिकार है । श्री मालवीय और प्रधान मंत्री के वक्तव्य एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मेरे द्वारा लगाये गये आरोपों को दुर्भावपूर्ण और झूठे कहा गया है । अतः मुझे यह कहने का अधिकार है कि उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित नहीं किया । (**अन्तर्बाधायें**)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे खड़े होने पर माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये । श्री हेम बरुआ का कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**श्री रंगा** (तेनाली) : श्री मालवीय का कथन है कि वे निर्दोष हैं । प्रधान मंत्री भी उनसे सहमत हैं तो फिर श्री दास के प्रतिवेदन में ऐसी कौनसी बात है जिसके कारण श्री मालवीय का त्याग-पत्र स्वीकार किया गया है ।

या फिर प्रधान मंत्री के मन में मन्त्रियों के स्तर के बारे में कुछ धाराणाएं होंगी जिसके आधार पर श्री दास के प्रतिवेदन अनुसार श्री मालवीय उक्त स्तर के अनुकूल नहीं रहे। प्रधान मंत्री कृपया इन दो बातों को स्पष्ट कर दें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है । प्रधान मन्त्री ने यह कह कर

एक माननीय सदस्य : प्रधान मन्त्री को जवाब देने दीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब सब सवाल हो जायेंगे, तो प्रधान मंत्री उनका जवाब दे दें ।

श्री हरि विष्णु कामत : वे भूल जायेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अच्छा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि माननीय सदस्यों ने मेरी सारी बात सुनी थी तो मैंने कहा था कि श्री दास को जो कुछ सामग्री मिली उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने सारे विषय सारे संभव साक्ष्य की जांच नहीं की। अधिकांश गवाहों को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वे स्वयं न्यायालय के मामले में फंसे हुए थे। उन्हें बुलाना अनुचित समझा गया क्योंकि उन्हें अपना अवसर मिलना चाहिए था। अतः उन्हें प्रत्यक्ष तथ्य के आधार पर राय बनानी पड़ी और उसके आधार पर उन्होंने कुछ सिफारिशें कीं। जैसा मैंने कहा है कि चार बातों में से चार श्री मालवीय के पक्ष में हैं और दो उनके विरुद्ध। उस निर्णय को पढ़ने पर मैंने कहा कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। किन्तु प्रत्यक्ष बातों पर विचार करके मैंने सोचा कि उसे त्यागपत्र देना चाहिये और मुझे स्वीकार कर लेना चाहिये। यह कहना गलत है कि उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया है। उन्होंने यह सब कुछ होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था और उस समय इसे स्वीकार नहीं किया गया था और बाद में श्री दास का प्रतिवेदन जानने से पूर्व उन्होंने पुनः त्यागपत्र दिया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया।

श्री रामेश्वरानन्द : अगर अपराध नहीं था तो क्यों रिज़ाइन किया।

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्या जस्टिस दास के प्रतिवेदन के आधार पर त्यागपत्र को स्वीकार किया गया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** निस्संदे उसे स्वीकार करने का कुछ कारण वह प्रतिवेदन भी था। प्रत्यक्ष तथ्य के आधार पर किये गये निर्णय को मैंने पर्याप्त समझा। यह अधिक होता कि पूरी न्यायिक जांच की जाती। सम्भवतः मैंने गलती की और इस कारण श्री दास भी सीमाओं द्वारा बंधे हुए थे। ऐसी प्रक्रिया को अपनाने का दोष मेरा है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या आप अब न्यायिक जांच करवायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वास्तव में तीन चार मामले तीन चार दिन में न्यायालय में आ रहे हैं। सिराजुद्दीन की पुस्तकों की प्रविष्टियों आदि का मामला और अन्य मामले न्यायालय में आयेंगे। हम उन मामलों के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे और फिर कार्यवाही करेंगे। जहां तक श्री मालवीय का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अब कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष आधार पर कुछ राय बनाई गई जिसके आधार पर उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा और मुझे उसे स्वीकार करना पड़ा। अतः जहां तक सभा का सम्बन्ध है मामला यहां समाप्त हो जाता है। यदि कोई और अवसर पैदा हुआ , . . .

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** वे दो प्रत्क्ष मामले क्या हैं ?

†**श्री कृपालानी :** क्या श्री मालवीय के त्यागपत्र को लोग उस के चरित्र पर धब्बा नहीं समझेंगे और क्या उनके साथ न्याय करने के लिए यह उचित नहीं कि मामले की अधिक जांच की जाए ?

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने यह कह कर कि दास जी ने मालवीय जी के खिलाफ दो मुद्द मान लिए और चार छोड़ दिए, हम लोगों की भूख को जगा दिया है, लोक-सभा और देश की भूख को जगा दिया है। इससे मालवीय जी को ज्यादा नुक्सान होगा, ज्यादा फुसफुसाहट होगी और लोग समझेंगे कि दो मुद्दे कुछ खतरनाक मुद्दे थे। सवाल दो मुद्दों का या एक मुद्दे का नहीं है। अगर पांच छोड़ दिये जाते हैं और एक मान लिया जाता है

†मूल अंग्रेजी में

तो वह मुद्दा भी बड़ा गम्भीर मुद्दा हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि जज खाली जांच करता है और रिपोर्ट दे देता है। वह यह नहीं कह सकता है कि उसको छापा जाए या न छापा जाये और नहीं कोई आखिरी फैसला दे सकता है . . . (**अन्तर्बाधायें**)।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे पुराने तथ्यों को दोहरा रहे हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजा पुर): संविधान के किस उपबन्ध के अधीन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से गैर-सरकारी रूप में राय मांगी जा सकती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम नहीं कि राय प्राप्त करने के लिए संविधान के उपबंध की आवश्यकता है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति की राय मांग सकता हूं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने भारत के मुख्य न्यायाधिपति से राय मांगी और उन्होंने अपने साथियों से सलाह कर के मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे पता नहीं कि श्री नाथ पाई उन से प्रार्थना करें तो उनका क्या उत्तर होगा।

†**श्री कृपालानी** : श्री मालवीय गैर-सरकारी नौकर थे या सरकारी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संभवतः मैं ने यह गलत आधार पर कार्यवाही की थी। ठीक तो यह होता कि कतिपय नियमों के अधीन संविहित जांच की जाती। वह संविधान और विधि के अधीन होती। उस समय यह निश्चय किया गया था कि जो पत्र हमारे पास हैं उनके आधार पर निजी तौर पर परामर्श लिया जाए। ऐसा पहला मामला नहीं था। प्रश्न श्री मालवीय जी का नहीं प्रत्युत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति का है। इससे उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि उस की राय बताने से उसे संरक्षण नहीं मिलता।

†**श्री नाथ पाई** : श्री मालवीय आप पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्हें साक्ष्य देने का अवसर नहीं दिया गया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री मालवीय मुझ पर आरोप लगायें अथवा नहीं किन्तु इन कारणों से मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधिपति ने कहा था कि प्रतिवेदन लोगों को न बताया जाए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): कैसे कुछ भाग प्रकाशित किया जा सकता है और कुछ नहीं यहां मेरे मित्र जानते हैं कि उसमें ७० पृष्ठ हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पता नहीं उन्हें यह कैसे पता लगा। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन का मुख्य भाग प्रकाशित न किया जाए और शेष मूल और महत्वपूर्ण भाग को प्रकाशित कर दिया जाए। पहले उन्होंने कहा था कि सारे प्रतिवेदन को प्रकाशित न किया जाए किन्तु मेरे द्वारा इस सभा के समक्ष रखने की अनुमति मांगने पर उन्होंने कहा कि इसे प्रकाशित न किया जाए किन्तु यदि हम आवश्यक समझें तो हमें इन भागों को प्रकाशित कर देना चाहिये। किन्तु उस से प्रतिवेदन नष्ट हो जायेगा और जिस भाग में सदस्यों के रुचि है उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद न्यायाधिपति के कर्त्तव्यों से सम्बन्धित हैं जिन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया कि वे निजी तौर पर राय दे सकते हैं। जांच आयोग अधिनियम, १९५२ में भी इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं है । अतः प्रधान मंत्री ने जो कार्यवाही की है वह सारा असंवैधानिक है । इस गल्ती के सुधारने का उपाय यह है कि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाए उनका वक्तव्य सर्वथा नियम विरुद्ध है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका प्रक्रिया से संबंध नहीं । यह औचित्य प्रश्न है नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप यह बतायें कि आप इस पर विनिर्णय नहीं दे सकते या देना नहीं चाहते ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

†**श्री राम सेवक यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है । प्रधान मंत्री ने अपनी आदत के अनुसार कहा कि मालवीय जी न दोषी है और न निर्दोषी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह दोनों नहीं हैं तो फिर हैं क्या वे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : और प्रश्न नहीं । अब हम अगला विषय लेंगे ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं १९ अगस्त, १९६३ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :--

(१) कार्य की वे मदें जिन्हें आज की कार्यावलि से लिया गया है।

(२) निम्नलिखित पर विचार करना तथा पारित करना :--

(क) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(ख) बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक, १९६२ --प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(ग) गुरुवार, अगस्त, १९६३ को ३ म० प० बजे श्री मन्नूलाल द्विवेदी द्वारा वर्ष १९६१--६२ के लिए भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नयी दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव ।

यह उपरोक्त कार्य १९ अगस्त को प्रस्तुत किये जाने वाले श्री जे० बी० कृपालानी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के बाद लिया जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : (होशंगाबाद): क्या मंत्री महोदय अपने आश्वासन पर कायम हैं कि वे सत्र में प्रस्तुत होने वाले सभी विधेयक प्रथम सप्ताह में पुर:स्थापित कर दिये जायेंगे।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैंने यही आश्वासन दिया था कि सरकार का यह प्रयत्न होगा कि सत्र के मध्य में ही सभी प्रस्तुत होने वाले विधेयकों को पुर:स्थापित कर दिया जाये । हम इस आश्वासन पर कायम रहेंगे परन्तु कभी कोई आपात भी हो सकता है । सभी विधेयक सत्र के मध्य तक पुर: स्थापित हो जायेंगे। परन्तु कोई विशेष विधेयक इसके बाद भी पुर: स्थापित हुआ तो हम चालू सत्र में उसे नहीं लेंगे । और भी कोई महत्वपूर्ण मद होगी तो उस पर कार्य मंत्रणा समिति में हम चर्चा कर लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।